राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12985/2024

मैसर्स शुभम एंटरप्राइज, प्रोपराइटर विनोद कुमार खटीक पुत्र रतन लाल खटीक उम्र-43 निवासी खटीक मोहल्ला, वार्ड नं. 10, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ के माध्यम से।-

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़, ए.ए.ओ.-II के माध्यम से, निवासी प्रथम तल कक्ष संख्या 116 कलेक्टर कार्यालय परिसर, चित्तौड़गढ़।
3. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़।
4. जिला आपूर्ति अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
5. मैसर्स महेश ट्रांसपोर्ट कंपनी, चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री भावेश कुमार कुमावत

श्री दिनेश जैन वीसी के माध्यम से

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री नितेश माथुर, एजीसी

श्री जुबिन मेहता

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति रेखा बोराना

आदेश

23/08/2024

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से स्थगन हेतु अनुरोध किया गया है।

2. प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका स्वीकार भी कर ली जाती है, तो भी वह प्रश्नगत कार्य के 40% के लिए कार्य आदेश पाने का हकदार होगा। इसलिए, दिनांक 13.08.2024 के अंतरिम आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतरिम आदेश के तहत पूर्ण आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है।

3. प्रतिवादी राज्य तथा निजी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना वास्तविक है तथा तथ्यात्मक पहलू के अनुरूप है।

4. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, दिनांक 13.08.2024 के अंतरिम आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि प्रतिवादी राज्य को तत्काल प्रभाव से प्रश्नगत कार्य के 60% के लिए कार्य आदेश जारी करने की स्वतंत्रता होगी तथा निजी प्रतिवादी को इसे निष्पादित करने की स्वतंत्रता होगी।

5. 27.08.2024 को डाला गया।

(रेखा बोराना),जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।